1 A

196

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

22 रा० (विभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-49/2017-18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अंतर्गत फीड बेस्ड फिशरीज की योजना का कुल मो0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रु0 मात्र के अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 07 दिनांक 05.05.2017 एवं ऑनलाईन विभागीय राज्यादेश सं0 510 एवं 511 दिनांक 05.05.2017 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना मद में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 950 द्वारा फीड बेस्ड फिशरीज की योजना में कुल मो0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रु0 मात्र की लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 16/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कोडरमा, धनबाद, बोकारो एवं रामगढ़ जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु आवश्यकता अनुसार उपकरण एवं मशीनों का क्रय किया जायेगा।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उल्लिखित कार्य के लिए स्वीकृत राशि कुल मो0 250.00 लाख (दो करोड़ पचास लाख) रु0 मात्र का व्यय निम्न बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा जिसके लिए समुचित बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है :-

कमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-17-मशीन एवं उपकरण 53 S 240500101560317	35.00
2	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500101560323	90.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53 S 240500101560543	10.00

195

4	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज -विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय 53 S 240500101560759	10.00
5	लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500796560323	75.00
6	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-56-फीड बेस्ड फिशरीज-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री 53 S 240500789560323	30.00
	योग:	**250.00**

(दो करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र

3. उपर्युक्त तालिका के कमांक - 1 में मशीन उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़ तथा कोडरमा को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा फीड मिल के उपकरणों का कय योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रकिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त तालिका के कमांक - 4 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के बकाया विद्युत विपत्रों का भुगतान हेतु व्यय किया जायेगा।

अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण मद की राशि से फीड मिलों का आवश्यक अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण कराया जायेगा।

4. विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 16/- रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड पर ही यह लाभ कृषकों को **फीड के रुप में ही** दिया जाएगा।

5. उपर्युक्त कंडिका 4 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के कय पर भी अधिकतम 16/-रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 350 किलोग्राम 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के कय पर 16/-रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 5600/-(पाँच हजार छः सौ) रू0 की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। लाभुक द्वारा 2mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड का वास्तविक रूप में कय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 16/-रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो।

निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए ~~अलग से भी~~ विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरांत आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना अंतर्गत जिलावार तथा लघु शीर्षवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट-। के रुप में संलग्न है।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) होंगे जो दिये गये वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्ध आवंटन के अंतर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

8. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो विभागीय सचिव के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

9. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय स्वीकृत बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 - सी0एस0 - 2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

13. वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 650.00 लाख रु0 मात्र में मो0 161.55 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

14. वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

16/7/18

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 22 रा० (विभाग) /मत्स्य, राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 22 रा० (विभाग) /मत्स्य, राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/ उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 198 -

सरकार के सचिव

ज्ञापांक २२ रा० (विभाग) /मत्स्य, राँची, दिनांक 17/07/2018

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में फीड बेस्ड फिशरीज योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	2405-मछली पालन उप शीर्ष-56- फीड बेस्ड फिशरीज													कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		101-अन्तर्देशीय मछली पालन							796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
		03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक	07-अन्य	05-	03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री				03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री			
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	व्यय-17-मशीन एवं उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	व्यय-59-अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	निर्माण-43-अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का भौतिक लक्ष्य (टन)	झास्कोफिश से फ्लोटिंग फीड के क्रय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	राँची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	4.54	21.65	3.46	15.00	2.40	65	10.40
2	खूंटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	5.00	0.80	15	2.40
3	गुमला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.11	19.30	3.09	5.00	0.80	25	4.00
4	सिमडेगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.34	27.90	4.46	5.00	0.80	35	5.60
5	लोहरदगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.67	25.80	4.13	5.00	0.80	35	5.60
6	लातेहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	3.84	5.00	0.80	29	4.64
7	प0 सिंहभूम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.90	44.40	7.10	5.00	0.80	55	8.80
8	पूर्वी सिंहभूम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3.20	5.00	0.80	25	4.00
9	सरायकेला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	8.23	43.25	6.92	20.00	3.20	115	18.35
10	दुमका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.78	75.10	12.02	5.00	0.80	85	13.60
11	जामताड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3.20	5.00	0.80	25	4.00
12	साहेबगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4.80	5.00	0.80	35	5.60
13	पाकुड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	5.00	0.80	15	2.40
14	हजारीबाग	21.70	3.47	48.30	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	80	12.80
15	रामगढ़	13.30	2.13	26.70	4.27	12.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	45	26.20
16	कोडरमा	35.35	5.66	47.65	7.62	10.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	6.00	121	32.28
17	चतरा	5.60	0.90	24.40	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	35	5.60
18	बोकारो	33.60	5.30	46.40	7.42	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	85	23.52
19	गिरिडीह	5.60	0.90	54.40	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	65	10.40
20	धनबाद	16.45	2.63	43.55	6.97	8.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	65	23.40
21	गोड्डा	3.15	0.50	36.85	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	45	7.20
22	पलामू	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	15	2.40
23	गढ़वा	0.00	0.00	10.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.80	15	2.40
24	देवघर	15.75	2.52	64.25	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.60	90	14.40
	योग	150.50	24.00	412.50	66.00	35.00	10.00	10.00	97.30	15.57	371.40	59.43	188.00	30.00	1220	250.00

(दो करोड़ पचास लाख रू0 मात्र)

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव